

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक B/2901 /
II-18-5/13

जबलपुर, दिनांक 26 /05 /2017

उन मुस्लिम कर्मचारियों को जो रोजा रखने के आधार पर आवेदन करते हैं, को "रमजान माह" में रोजे प्रारंभ होने के दिनांक 27.05.2017 से 26.06.2017 तक कार्यालय समाप्त होने के आधा घण्टा पूर्व कार्यालय छोड़ने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

(1) उक्त अनुमति से कार्यालय के कार्य पर कोई प्रभाव न पड़े।

(2) संबंधित कर्मचारी यह प्रयास करे कि उनके समस्त कार्य वे प्रतिदिन पूर्ण करेंगे।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय
के आदेशानुसार

सही/-

(मो. फहीम अनवर)
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक B/2902 /
II-18-5/13

जबलपुर, दिनांक 26/05/2017

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ ग्वालियर, नवीन उच्च न्यायालय भवन, सिटी सेंटर, ग्वालियर म.प्र.,
2. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर, इंदौर, म.प्र.,
3. रजिस्ट्रार प्रशा./न्यायिक 1 एवं 2/डी.ई./ई./व्ही./आई.एल./कम-पी.पी.एस./लेबर ज्यूडिशरी एवं परीक्षा, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
4. रजिस्ट्रार आई.टी. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश अपलोड करने हेतु
5. ज्वाइंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
6. डिप्टी रजिस्ट्रार न्यायिक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
7. कोर्ट मैनेजर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर, म.प्र.
8. अनुभाग अधिकारी/इंचार्ज.....(समस्त), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
9. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
10. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार न्यायिक/सतर्कता/आई.एल.आर एवं परीक्षा महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
11. सहायक स्थापना/लेखा/बजट/पेंशन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
12. उपस्थिति लिपिक/न्यायिक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
13. दो अतिरिक्त प्रति सहित ऑफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

Chandesh Kumar
(चन्द्रेश कुमार खरे)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)